

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ.28(48)पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्थान.पद/2022/2111

जयपुर, दिनांक:- 08/08/22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद- पाली।

विषय :- ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।

निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें :-

क्र.स	नाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री रामचन्द्र यादव	आदेशों की प्रतीक्षा में	ग्राम पंचायत कोटबालियान, पंचायत समिति बाली जिला पाली

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट :-

- 1- यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है।
- 2- यदि कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- 3- यदि कार्मिक की परिविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
- 4- यदि कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
- 5- यदि ग्राम विकास अधिकारी निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जावें।

५७

(घनश्याम शर्मा)  
उपायुक्त एवं  
शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
- 5-निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 6-अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
- 7-एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8-आदेश पत्रावली।

५

उपायुक्त एवं  
शासन उप सचिव (द्वितीय)